प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात

दिनांक- 30.06.2024

- **गौ-तस्करों के विरुद्ध कानपुर देहात पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही।**
- **गौवंशो का क्रूरता पूर्वक परिवहन करने का अपराध कारित करने में प्रकाश में आये 06 नफर अभियुक्तगण को थाना मूसानगर पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मूसानगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 23.06.2024 को दो ट्रक 14-14 टायरा नम्बर क्रमशः UP65FT3066 व UP62BT1689 में कुल 53 राशि जीवित गोवंश क्रूरता पूर्वक ले जाये जाने के सम्बन्ध में थाना मूसानगर पर मु0अ0सं0 0068/2024 धारा 3/5ख/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर प्रकाश में आये ट्रक नम्बर UP65FT3066 के चालक मोहम्मद अब्दुल्ला उम्र 28 वर्ष पुत्र अली हुसैन निवासी सैनी बस स्टाफ के पास थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को नगीना मोड थानाक्षेत्र मूसानगर से समय करीब 10.34 बजे गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अब्दुल्ला उपरोक्त द्वारा पूछताछ में उपरोक्त दोनों ट्रकों के वाहन स्वामी तथा 08 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में लाये गये तथा अभियुक्त की निशानदेही पर सराय गांव के आगे बने यादव मार्केट व पीडब्लूडी गेस्ट हाऊस के पास से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.अनीश पुत्र शरीफ निवासी ग्राम बदनपुरा थाना गोहन जनपद जालौन 2. नारु पुत्र गोरुलाल रैवारी निवासी ग्राम जगपुरा थाना रानपुर तहसील लाडपुरवा जनपद कोटा जनपद राजस्थान 3. राजू पुत्र गोरुलाल रैवारी निवासी ग्राम जगपुरा थाना रानपुर तहसील लाडपुरवा जनपद कोटा जनपद राजस्थान 4. मोहर सिंह पुत्र स्व0 गोपीचन्द्र रैवारी निवासी ग्राम कलमका कुआ थाना रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान 5. सुरेन्द्र यादव पुत्र लालजी यादव निवासी ग्राम हुसैनपुर मधुकर पोस्ट भीमापार थाना सादात जनपद गाजीपुर हाल पता ग्राम लेढ़ूपुर (आशापुर) थाना सारनाथ जनपद वाराणसी, 6. सुरेन्द्र यादव पुत्र लालजी यादव निवासी ग्राम हुसैनपुर मधुकर पोस्ट भीमापार थाना सादात जनपद गाजीपुर हाल पता ग्राम लेढ़ूपुर (आशापुर) थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को समय करीब 10.47 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का चिकित्सीय परीक्षण कराते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा भागे हुए अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। मुकदमा उपरोक्त में धारा 120 बी भा0द0वि0 की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मोहम्मद अब्दुला पुत्र अली हुसैन उम्र 28 वर्ष निवासी सैनी बस स्टाफ के पास थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।
2. अनीश पुत्र शरीफ उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम बदनपुरा थाना गोहन जनपद जालौन।
3. नारु पुत्र गोरुलाल रैवारी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम जगपुरा थाना रानपुर तहसील लाडपुरवा जनपद कोटा, राजस्थान।
4. राजू पुत्र गोरुलाल रैवारी उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम जगपुरा थाना रानपुर तहसील लाडपुरवा जनपद कोटा, राजस्थान।
5. मोहर सिंह पुत्र स्व0 गोपीचन्द्र रैवारी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम कलमका कुआ थाना रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
6. सुरेन्द्र यादव पुत्र लालजी यादव उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम हुसैनपुर मधुकर पोस्ट भीमापार थाना सादात जनपद गाजीपुर हाल पता ग्राम लेढ़ूपुर (आशापुर) थाना सारनाथ जनपद वाराणसी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मोहम्मद अब्दुला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0068/2024 धारा 3/5ख/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0स0 102/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।

शेष सभी 05 अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0068/2024 धारा 3/5ख/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना मूसानगर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार गौतम,
2. उ0नि0 श्री बिन्दाप्रसाद
3. उ0नि0 श्री प्रभाकर यादव
4. उ0नि0 श्री बन्दूलाल
5. का0 764 अभिषेक चौधरी
6. का0 869 धनजंय चौधरी